3

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–121 दिनांक–04.01.2018 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–10.01.2018 में मद संख्या–12 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

12.	संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 09 (नौ) कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक–01.07.2017 से 30.06.2018 तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	12. स्वीकृत।

10.1.18

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

11/1/18

12-01-18

15/1/18

Scanned with OKEN S

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

(108)

संकल्प

प्रारूप -I

विषयः- संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 09 (नौ) कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 30.06.2018 तक पुनर्नियोजन किये जाने संबंध में।

राज्य मे कनीय अभियंताओं (असैनिक) की नियुक्ति के लिए जल संसाधन विभाग नोडल विभाग था। जल संसाधन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की सेवा पथ निर्माण विभाग को सौपी गई एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण विभाग को सेवा सौपी गयी। संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया जाता रहा है। संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सामान्य दिशा निर्देश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार पटना के संकल्प सं0-2401 दिनांक 18.07.2007 द्वारा निर्धारित है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-8025 दिनांक-21.05.2013 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। विगत वर्ष में विभागीय कार्यालय आदेश सं0-202 सहपठित ज्ञापांक 7290(भ) दिनांक 28.07.2016 द्वारा 09 (नौ) कनीय अभियंताओं को संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन किया गया था, जिनका नियोजन अवधि समाप्त हो चुका है। फलतः भवन निर्माण विभाग में कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियमित नियुक्ति में प्रक्रियात्मक विलंब एवं विभागीय कार्य के सुचारू संपादन को दृष्टिगत रखते हुए 09 (नौ) कनीय अभियंता (असैनिक) को संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की दिनांक 10.01.2018 को सम्पन्न बैठक (मद सं0-12) में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

23-01-18

(अजीत कुमार राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-भवन/03-स्था0ए0-07/2017.....784 (भ).../ पटना, दिनांकः- 23/1/18

प्रतिलिपिः-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

23/1/18

(अजीत कुमार राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0.....

E:\Sumit Kumar Vatsa 2016\Amrendra Jee

Scanned with OKEN Scanner

(110)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

कार्या0आ0सं0-3-स्था0-ए0-07/2017.....39..... पटना, दिनांक-23/1/18

कार्यालय आदेश

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-784(भ) दिनांक-23/1/18 द्वारा संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष दिनांक-01.07.2017 से 30.06.2018 तक के लिए सरकार द्वारा निरूपित शर्तों एवं बंधेजों के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-262-सह-पठित ज्ञापांक-7290(भ) दिनांक 28.07.2016 द्वारा संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) को विभिन्न अंचलो/प्रमंडलों में पदस्थापित किया गया था जिनकी नियोजन अवधि समाप्त हो चुकी है। उन कनीय अभियंताओं का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष दिनांक-01.07.2017 से 30.06.2018 तक के लिए विस्तार करते हुए पूर्व पदस्थापित प्रमंडल में पदस्थापित किया जाता है जो निम्नरूपेण है।

क्र0	कनीय अभियंताओं का नाम	गृह जिला	पदस्थापित प्रमंडल/अंचल का नाम
1.	श्री उपेन्द्र कुमार दीक्षित	औरंगाबाद	भवन प्रमंडल मुजफ्फरपुर
2.	श्री ओम प्रकाश यादव	धनबाद	भवन प्रमंडल लखीसराय
3.	श्री अमरेन्द्र प्रसाद	गया	भवन प्रमंडल मोतीहारी
4.	श्री अशोक कुमार	नालंदा	भवन प्रमंडल अररिया
5.	श्री राजीव रंजन सिंह	नालंदा	भवन प्रमंडल सहरसा
6.	श्री नारद राम	पूर्वी चम्पारण	भवन प्रमंडल शिवहर
7.	श्री राजू कुमार	रोहतास	भवन प्रमंडल सीतामढ़ी
8.	श्री रामाशीष भारती	लखीसराय	भवन प्रमंडल बेतिया
9.	श्रीमती प्रभावती कुमारी	पटना	भवन प्रमंडल गया

1. यह नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध एवं अधिकतम एक वर्षो के लिए है।
2. यह संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अवधि विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजन किये गये कनीय अभियंता को सरकारी सेवक नहीं माना जायेगा और न ही सरकारी सेवक की तरह अनुमान्य किसी भी प्रकार की सुविधा के हकदार होंगे। साथ ही संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
4. नियोजित कनीय अभियंता (संविदा) की पारिश्रमिक ₹27,000/- (सत्ताईस हजार) प्रतिमाह देय होगी।
5. उक्त आदेश के आलोक में योगदान नहीं करने वाले कनीय अभियंता (संविदा) पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
6. पदभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह की संविदा राशि का एक मुश्त भुगतान देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
8. सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।

कृ0पृ0उ0.....

(107)

9. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की जाँच संबंधित संस्थान/प्राधिकार से [illegible] जाने पर यदि प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो संबंधित कर्मी का नियोजन [illegible] समाप्त कर दी जायगी। साथ ही भुगतान की गई पारिश्रमिक की राशि की वसूली नियमानुसार कर ली जायगी। साथ ही विधानिक/कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
10. कनीय अभियंता (संविदा) की पारिश्रमिक ₹27,000/- (सत्ताईस हजार) मुख्यशीर्ष-उपशीर्ष/ लघुशीर्ष के व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ के लिए अदायगियों इकाई से विकलनीय होगी।
11. नियोजित कनीय अभियंताओं के पारिश्रमिक का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय द्वारा विस्तारित अवधि दिनांक 01.07.2017 से नियमानुसार देय होगी।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प-सह-ज्ञापांक संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में संबंधित कनीय अभियंताओं से एकरारनामा कराने के पश्चात ही उनके मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

(अजीत कुमार राम)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 785 (7)

पटना, दिनांक- 23/1/18

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी सभी संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 785 (7)

सरकार के उप सचिव।

पटना, दिनांक- 23/1/18

प्रतिलिपिः- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव कोषांग, भवन निर्माण विभाग/सभी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/ सभी संबंधित संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता/आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।